

पंजीयन क्रमांक 1735/18
दिनांक 26.03.2018
विभाग नं. 516
दिनांक 26.03.2018

राजस्थान सरकार
पत्र (कार्य) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशाला, राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (संशुद्धि विभाग-6)

श्री स्वर्ण लक्ष्मी विकास संस्थान, जैसलमेर
ग्राम हांसुवाला पोस्ट रामगढ़ (मैठली)
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के अधीन है।

चूंकि श्री बलोज रवां (सचिव) शाही (दुर्ग)

गौशाला श्री स्वर्ण लक्ष्मी विकास संस्थान, जैसलमेर राजस्थान

गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत यह गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ। आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरणों के साथ मैं यह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह गोशाला पंजीयत (रजिस्ट्रार) करायी गई है।

आज दिनांक 26.03.2018 को दो हजार सहाय



रजिस्ट्रार गोशाला एवं संशुद्धि निदेशक
(गोशाला पंजीकरण एवं नए सुधार कर गोशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....३३...../जैसल/2008-2009..

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~शुक्ल~~ ~~धरा~~ ~~विकास~~

~~स्थान~~, ~~जैसलमेर~~ जिला जैसलमेर का


राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक.....24.....माह.....~~जुलाई~~.....सन् दो हजार...०९...को

जैसलमेर में दिया गया ।




(रमेश कुमार काफना)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर